

समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VII

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 100/2015-16 (रेलवे) ...60.../भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 10.01.19

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु मौजा- मिरजाचक सीट नं0-1, थाना नं0-117/120, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में कुल- 3.941 एकड़ यानि हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 3.941 एकड़ यानि हेक्टेयर है और जो मौजा- मिरजाचक सीट नं0-1, थाना नं0- 117/120, अंचल- पथरगामा, जिला-गोड्डा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7	20	निजी	धानी III	0.423	0.0178	प्रभाष चन्द्र झा, पिता- स्व० कपलेश्वर झा	19	21, 40	20 अंश	21, 20 अंश
2						0.0178	फूल झा, पिता- स्व० कपलेश्वर झा				
3						0.0178	विकास झा, पिता- स्व० कपलेश्वर झा				
4						0.0527	बैकुण्ठ झा, पिता- स्व० भूवनेश्वर झा				
5						0.0527	सुरेश चन्द्र झा, पिता- स्व० भूवनेश्वर झा				
6						0.0265	मनिकांत झा, पिता- स्व० श्रीकांत झा				
7						0.0265	राजेश कुमार झा, पिता- स्व० श्रीकांत झा				
8						0.0704	सतीश चन्द्र झा, पिता- तेजनारायण झा				
9						0.0704	कृष्ण मोहन झा, पिता- तेजनारायण झा				
10						0.0704	रमेश चन्द्र झा, पिता- तेजनारायण झा				
11	8	36	निजी	धानी II	0.716	0.1432	सीताराम साह, पिता- स्व० भूदेव साह	37	सियारडीह	36 अंश	36 अंश
12						0.1432	नागेश्वर साह, पिता- स्व० भूदेव साह				

13						0.1432	प्रभा देवी, पिता- स्व० भूदेव साह					
14						0.1432	फोटो देवी, पिता- स्व० भूदेव साह					
15						0.0716	सोनू साह, माता- अंजू देवी					
16						0.0716	पूजा देवी, पति- बहादुर गुप्ता					
17						0.089	विनोद साह, माता- स्व० कुशमी देवी					
18	8	37	निजी	धानी II	0.267	0.089	प्रदीप कुमार साह, माता- स्व० कुशमी देवी	22	36	40	37 अंश	
19						0.089	मनोज कुमार साह, माता- स्व० कुशमी देवी					
20		21	निजी	बाड़ी II	0.110	0.073	मो० गायत्री देवी, पति- कैदार साह	22 अंश	37	21	22 अंश	
21		22	निजी	धानी II	0.111	0.018	घनश्याम साह, पति- महादेव साह	20	40	41 अंश	40, 20	
22						0.018	देवेन्द्र साह, पिता- महादेव साह					
23						0.019	मनोज साह, पिता- महादेव साह					
24						0.019	कंचन देवी, पति- राजकुमार साह					
25						0.074	शंकर साह, पिता- गजाधर साह					
26						0.0769	मो० चन्दरी, पति- बासुदेव सिकदार					
27						0.0768	मो० मालती, पति- चन्द्रदेव सिकदार					
28						0.0192	गिरधारी सिकदार, पिता- इन्द्रदेव सिकदार					
29	12	40	निजी	बाड़ी II	0.461	0.0192	पवन सिकदार, पिता- इन्द्रदेव सिकदार	21 अंश	37	40	22	
30						0.0384	मो० गायत्री, पति- इन्द्रदेव सिकदार					
31						0.2305	मो० गीता, पति- स्व० जगदीश राउत					
32		19	निजी	धानी II	0.677		बीणा देवी, पिता- स्व० बालदेव साह, पति- गणेश प्र० साह, सा०- बारकोप	17	19	18 अंश	19	
33	14	18	निजी	धानी III	0.145	0.822		19 अंश	20	18	19 अंश	
34						0.0398	अवधेश ब्रह्म, पिता- चक्रधर ब्रह्म					
35	18	17	निजी	धानी III	0.478	0.0398	किरानी ब्रह्म, पिता- चक्रधर ब्रह्म	15	17	बारकोप	17	
36						0.0398	राहुल ब्रह्म, पिता- चक्रधर ब्रह्म					

37						0.1196	सूर्या ब्रह्म, पिता- लखन ब्रह्म (मृत)					
38						0.1195	भोथी राम, माता- चेपठी					
39						0.1195	मो0 बॉबी, पति- स्व0 अजबलाल सिंह					
40						0.02634	मो0 मनोरमा देवी, पति- बुद्धिनाथ पाठक, सा0- लखन पहाड़ी					
41	22	41	निजी	धानी II	0.079	0.01316	अर्जुन चौधरी, माता- शकुन्तला देवी, सा0- लखन पहाड़ी	20	36, 37	40 अंश	21	
42						0.01316	राजेश झा, माता- सुभद्रा देवी, सा0- लखन पहाड़ी					
43						0.02634	मो0 जानकी देवी, पति- शंकर पाठक, सा0- लखन पहाड़ी					
44	23	14	निजी	धानी III	0.474	0.474	छत्तीस ब्रह्म, पिता- सुफल ब्रह्म	15	18, 19	17 अंश, 16	19	
कुल :-					3.941	3.941	एकड़					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।


मौजा- मिरजाचक सीट नं0-1, थाना नं0- 117/120, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में कुल- 3.941 एकड़ यानि हेक्टेयर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार* नीचे दिये गये हैं :-

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का हकदारी का लाभ	हकदारी/उपबंध
1	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 50000.00 (पचास हजार) रू0 पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।

उपरोक्त भूमि चिन्हित एवं मापित है, इस जमीन में इच्छुक/हितबद्ध सभी व्यक्ति, स्वयं अथवा प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11.02.2019 से 18.02.2019 तक कार्यालय अवधि- 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन दो प्रति में दे सकते हैं एवं प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे।

अपने दावे का प्रकार और क्षतिपूर्ति के लिए किसी दावे एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित दावे या धारा- 12 के तहत जमीन के मेजरमेंट से संबंधित आपत्ति/दावा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बेटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि के दावा के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश की प्रति देंगे।



 9/1/19
 उपायुक्त,
 गोड्डा।

ज्ञापांक 60 / भू0अ0 दिनांक :- 10.01.19

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिघोषणा का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


9/1/19
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 60 / भू0अ0 दिनांक :- 10.01.19

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पथरगामा को निदेश है कि उक्त अधिघोषणा जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


9/1/19
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 60 / भूअ0 दिनांक : 10.01.19

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संचाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


9/1/19
उपायुक्त,
गोड्डा।